

प्रेषक,

सचिव,  
प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक / प्रधानाचार्य,  
समस्त राजकीय, अनुदानित, पी. पी. पी. मोड एवं निजी क्षेत्र की संस्थाएं।

पत्रांक: प्राशिप/परिषद/2025/ 10313

लखनऊ: दिनांक: 17/01/2025

विषय: शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं के परिषद कार्यालय द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर मास्टर डाटा को लॉक / अग्रसारित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2. उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं० आई-853265/2025/64-2010(099)/1/2024, दिनांक : 16.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर कक्षाओं में (कक्षा 11-12 को छोड़कर) अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु संशोधित (तृतीय चरण) समय सारिणी निर्गत की गई है।

सादर अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में परिषद से सम्बद्ध संस्थाओं हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर मास्टर डाटा लॉक / अग्रसारित किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलित है। उपरोक्त के क्रम में प्रदत्त निर्देशों का अनुसरण करते हुए संस्था स्तर पर समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए निम्न अभिलेखों को परिषद कार्यालय के परिषद अनुभाग में दिनांक: 20.01.2025 तक जमा कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि परिषद स्तर से मास्टर डाटा अग्रसारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके-

1. प्रारूप-1 पर वर्षवार एवं ब्रांचवार विवरण।
2. छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर संस्था द्वारा मास्टर डाटा लॉक की डाउनलोडेड स्पष्ट एवं पठनीय प्रति जिसमें संस्था का नाम अंकित हो।
3. परिषद द्वारा निर्गत विगत 03 वर्षों (इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम) / 02 वर्षों (फार्मसी पाठ्यक्रम) के सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार पत्र की स्पष्ट एवं सत्यापित प्रति।
4. विगत 03 वर्षों इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम) / 02 वर्षों (फार्मसी पाठ्यक्रम) का AICTE / PCI अनुमोदन / अनुमोदन विस्तार पत्र की स्पष्ट एवं सत्यापित प्रति।
5. यू-राईज पोर्टल पर अपलोडेड छात्रवृत्ति विवरण का प्रिंटआउट।

उपरोक्त कार्य में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता न बरती जाए। यदि कोई भी पात्र छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति में वंचित रह जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था निदेशक / प्रधानाचार्य / प्रबंधन का होगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,  
(मानेन्द्र कुमार कनौजिया)  
उपसचिव/ कृते सचिव

पु. सं० : प्राशिप/परिषद/2025/ 10314 -17

तददिनांक: 17/01/2025

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपसचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग- 3, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र / बुन्देलखण्ड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. कम्प्यूटर अनुभाग, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त पत्र परिषद कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

(मानेन्द्र कुमार कनौजिया)  
उपसचिव/ कृते सचिव

—: प्रारूप—1 :—

संस्था का कोड व नाम:

क्र०सं०	बी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित ब्रांच का नाम	अनुमोदित प्रवेश क्षमता (EWS सहित + Lateral Entry)		
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष

संस्था के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नोडल अधिकारी का नाम:

पदनाम:

मोबाइल नं०:

ई-मेल आई.डी.:

संस्था प्रधानाचार्य/

निदेशक ह० मुहर सहित

नाम:

पदनाम:

मोबाइल नं०:

प्रेषक,

संजय कुमार दुबे,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक  
पिछड़ा वर्ग कल्याण  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 16-01-2025

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु) तृतीय चरण की समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2770/पि0व0क0/2024-25, दिनांक 13 जनवरी, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिए) आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु तृतीय चरण की समय-सारिणी निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर (कक्षा 11-12) एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्दर संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने तथा छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण तक की कार्यवाही हेतु प्रथम चरण की समय-सारिणी शासनादेश संख्या- आई/721524/2024/64-2010(099)/1/2024 दिनांक 02-09-2024 एवं शासनादेश संख्या-आई/789070/2024/64-2010(099)/1/2024 दिनांक 07-11-2024 द्वारा द्वितीय चरण की समय-सारिणी निर्गत की जा चुकी है।

3- अतः आपके पत्र दिनांक 13 जनवरी, 2025 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (अन्य दशमोत्तर कक्षाओं) हेतु तृतीय चरण की समय-सारिणी निर्गत की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु) संशोधित (तृतीय चरण) समय-सारिणी

क्र०सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	द्वितीय चरण की समयावधि	प्रस्तावित संशोधित समयावधि
1	मास्टर डाटा सत्यापित तथा लॉक करने की कार्यवाही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करना:- (शैक्षणिक संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक/एफिलिएटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय स्तर)	31 दिसम्बर, 2024 तक।	20 जनवरी, 2025 तक।
2	विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी/जिला विद्यालय निरीक्षक	05 जनवरी,	22 जनवरी,

	<p>द्वारा फीस आदि का सत्यापन:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ एफिलिएटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को आनलाइन पोर्टल पर अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन लॉक किया जाना।</li> </ul> <p>(शैक्षणिक संस्थान/ जिला विद्यालय निरीक्षक/एफिलिएटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय स्तर)</p>	2025 तक।	2025 तक।
3	<p>जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा तथा फीस आदि का सत्यापन:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रदेश के अन्दर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन लॉक किया जाना। किसी पाठ्यक्रम की निर्धारित शुल्क की भिन्नता की स्थिति में जिला छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति की बैठक में अनुमोदनोपरान्त मास्टर फीस पोर्टल पर लॉक की जायेगी।</li> </ul> <p>(पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्तर)</p> <p>नोट-शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटा समस्त स्तर से सत्यापित एवं लॉक होने के उपरान्त ही संस्था आवेदन करने वाले छात्रों का आवेदन अग्रसारित कर सकेगी।</p>	10 जनवरी, 2025 तक।	25 जनवरी, 2025 तक।
4	<p>छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु छात्रों द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर फाइनल सबमिट आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट निकाल कर समस्त अभिलेखों सहित उसकी हार्डकॉपी शिक्षण संस्था स्तर पर जमा कराया जाना। संशोधित समय-सारिणी अन्तर्गत केवल शुद्ध आवेदन ही स्वीकार्य होंगे, अशुद्ध/त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। (छात्र स्तर)</li> </ul>	अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु 21 नवम्बर, 2024 से 15 जनवरी, 2025 तक।	अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु 30 जनवरी, 2025 तक।
5	<p>शिक्षण संस्थान स्तर से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाना:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>संस्था में अध्ययनरत तथा छात्रवृत्ति पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों द्वारा आवेदन में अंकित समस्त तथ्यों का अभिलेखीय सत्यापन करते हुए, निर्धारित उपस्थिति मानक पूर्ण करने वाले पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त किया जाना। (शिक्षण संस्थान स्तर)</li> </ul>	18 जनवरी, 2025 तक।	03 फरवरी, 2025 तक।

	<ul style="list-style-type: none"> <li>छात्र के आवेदन के उपरान्त राज्य एन0आई0सी0 द्वारा छात्र के आधार सीडेड बैंक खातों के विवरण को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड करते हुए बेनीफिशियरी का रिस्पॉस प्राप्त किया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर)</li> </ul>		
6	विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी द्वारा रिजल्ट अपलोड किया जाना तथा सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रमवार अनुमोदित सीटों के सापेक्ष सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित छात्र संख्या को सत्यापित कर लॉक करेंगे।	18 जनवरी, 2025 तक।	03 फरवरी, 2025 तक।
7	राज्य एन0आई0सी0 द्वारा स्कू०र्टनी किया जाना:- <ul style="list-style-type: none"> <li>पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से सत्यापनोपरान्त प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन के डाटा को विभाग द्वारा प्रदान कराये गये बिन्दुओं के आधार पर परीक्षण करते हुए शुद्ध तथा संदेहास्पद डाटा को अलग किया जाना तथा शुद्ध डाटा को सत्यापन हेतु जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर)</li> </ul>	23 जनवरी, 2025 तक।	10 फरवरी, 2025 तक।
8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा सत्यापनोपरान्त डाटा लॉक कराया जाना:- <ul style="list-style-type: none"> <li>जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य एन0आई0सी0 द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये शुद्ध तथा संदेहास्पद डाटा का परीक्षण करते हुए जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त किया जाना। (जिला छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति स्तर)</li> </ul>	18 फरवरी, 2025 तक।	18 फरवरी, 2025 तक।
9	राज्य एन0आई0सी0 स्तर से मांग सृजन किया जाना:- <ul style="list-style-type: none"> <li>जनपद स्तरीय समिति तथा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्तर से सत्यापित तथा लॉक डाटा के आधार पर राज्य एन0आई0सी0 द्वारा निदेशालय की लॉगिन/पोर्टल पर मांग उपलब्ध कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर)</li> </ul>	21 फरवरी, 2025 तक।	21 फरवरी, 2025 तक।
10	निदेशालय स्तर से धनराशि का अन्तरण:- <ul style="list-style-type: none"> <li>जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मैपड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना। (निदेशालय स्तर)</li> </ul>	25 फरवरी, 2025 तक।	25 फरवरी, 2025 तक।

4- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु शासनादेश संख्या-आई/721524/2024/64-2010(099)/1/2024 दिनांक 02-09-2024 एवं शासनादेश संख्या-आई/ 789070/2024/64-2010(099)/1/2024 दिनांक

07-11-2024 द्वारा निर्गत निर्देश/शर्ते यथावत रहेंगी।

5- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (अन्य दशमोत्तर कक्षाओं) में अध्ययनरत छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना में आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by

( संजय कुमार दुबे )

Sanjay Kumar Dubey

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित Date: 16-01-2025 17:43:17

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, समाज कल्याण/ अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण)।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- निदेशक, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण)।
- 10- प्रबंध निदेशक, श्रीट्रान इंडिया लिमिटेड, लखनऊ।
- 11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(संजय कुमार दुबे)  
संयुक्त सचिव।